न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 137/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/220

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.सुजाराम पुत्र टीकमाराम 2.गैरोदेवी पत्नि टीकमाराम 3.कमला पत्नि सुजाराम जाति कलबी निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.कैलाशकुमार पुत्र कानाराम 2.विनोदकुमार पुत्र कानाराम 3.जुंजाराम पुत्र दौलाराम 4.सुराराम पुत्र रणछोड़ाराम 5.रणछोड़ पुत्र मेराम 6.गणेशाराम पुत्र मोटाराम 7.गेहरो पत्नि मोटाराम 8.मोतीराम पुत्र मोटाराम 9.भूराराम पुत्र जेराराम 10.सुशीलादेवी पत्नि खुशालाराम जाति कलबी निवासी निम्बली नाड़ी,असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री राजेश पटेल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2
3.श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 6 व 7
4.विप्रार्थी संख्या 3 से 5 व 8 से 11 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 19.01.2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 3137/850 व 3135/850 भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 3137/850 व 3135/850 भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री राजेश पटेल द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता श्री करणसिंह सोलंकी द्वारा विप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया,लेकिन जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 3 से 5 व 8 से 11 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 3137/850 क्षेत्रफल 0.8337 हैक्टयर व खसरा संख्या 3135/850 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 3137/850 क्षेत्रफल 0.8337 हैक्टयर व खसरा संख्या 3135/850 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.विप्रार्थी अधिवक्ता संख्या 1 व 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे दंखलदान्जी नही की गई है। जबकि प्रार्थीगण आए दिन सीमाओ को लेकर विप्रार्थी पक्ष से विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किए जाने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

6.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 3137/850 क्षेत्रफल 0.8337 हैक्टयर व खसरा संख्या 3135/850 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना वताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 28.4.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम असाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 3137/850 क्षेत्रफल 0.8337 हैक्टयर व खसरा संख्या 3135/850 क्षेत्रफल 0.4371 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है।

(अशोककुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19.01.2026 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा